



Neutral Citation No. - 2026:AHC:19603-DB

आरक्षित तिथि: 20.01.2026

निर्णय तिथि: 29.01.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2116 वर्ष 1984

सुरेंद्र सिंह और अन्य

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	: अनिल कुमार सिंह, -----, अनिल कुमार सिंह, रणजीत सिंह, वी.एस. सिंह
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	: डी.जी.ए.

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा प्रदत्त)

- हमने जीवित अपीलकर्ता संख्या 1 और 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री राजर्षि गुप्ता, श्री अनिल कुमार सिंह और श्री वाई.सी. दुबे तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री सुशील कुमार पांडे को सुना।
- यह आपराधिक अपील मैनपुरी के विशेष न्यायाधीश (ई.सी. अधिनियम) द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 298/1982 में दिनांक 31.07.1984 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध है, जिसमें अपीलकर्ताओं को धारा 302 सपठित धारा 34 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और धारा 307 सपठित धारा 34 आईपीसी के तहत सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
- अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि वादी बालादीन, श्री बनवारी लाल (पीडब्ल्यू-1) के पुत्र और उनके चाचा रूप लाल, मैनपुरी जिले के बेवार थाना क्षेत्र के अंतर्गत नागथारी गांव में रहते

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



हैं। मृतक शिव राम सिंह, रूप लाल का पुत्र था। मृतक बदन सिंह, गुरु दयाल सिंह का पुत्र था, जो मैनपुरी जिले के बेवार थाना क्षेत्र के रौपरा गांव के निवासी थे। वादी के सगे चाचा नत्थू सिंह (पीडब्ल्यू-3) मैनपुरी जिले के किशनी थाना क्षेत्र के हनुमान गढ़ी गांव में रहते हैं। श्याम सिंह (पीडब्ल्यू-2) नत्थू सिंह (पीडब्ल्यू-3) के पुत्र हैं। वादी बालादीन के सगे भाई सोने लाल मैनपुरी जिले के किशनी थाना क्षेत्र के कुसुम-हरन गांव में रहते हैं।

4. अभियुक्त सुरेंद्र सिंह और उनके पिता, अभियुक्त शिव मंगल सिंह, मैनपुरी जिले के किशनी थाना क्षेत्र के अलावलपुर गांव में रहते हैं। अभियुक्त वीरेंद्र सिंह और उनके सगे भाई, अभियुक्त अर्जुन सिंह, मैनपुरी जिले के बेवार थाना क्षेत्र के तेजगंज गांव के निवासी हैं। चारों अभियुक्त एक ही समुदाय से हैं। वे जाति से ठाकुर हैं।

5. नागथारी और अलावलपुर गाँव हनुमानगढ़ी गाँव से लगभग चार फर्लांग की दूरी पर स्थित हैं। गजधर, सुल्डवासी और नत्थू-सिंह के खेत हनुमानगढ़ी गाँव से लगभग 100 गज दक्षिण में स्थित हैं। यहाँ एक नाली है। गजधर का खेत नाली के उत्तर में स्थित है, जबकि नत्थू सिंह और सुखवासी के खेत नाली के दक्षिण में स्थित हैं। घटना के समय गजधर के खेत में अरहर की फसल खड़ी थी, जबकि सुखवासी और नत्थू सिंह के खेतों में गेहूँ की फसल खड़ी थी। ये खेत हनुमानगढ़ी गाँव से कुसुम हरन गाँव जाने वाले मार्ग पर स्थित हैं। कुसुम हरन गाँव हनुमानगढ़ी गाँव से लगभग दो फर्लांग की दूरी पर है।

6. हनुमानगढ़ी और अलावलपुर गाँवों के प्रधान का चुनाव 10.4.1982 को निर्धारित था। अभियुक्त सुरेंद्र सिंह और पीडब्ल्यू-3, नत्थू सिंह, ग्राम प्रधान पद के लिए उम्मीदवार थे। मृतक शिवराम सिंह और पीडब्ल्यू-3, नत्थू सिंह के बीच दुश्मनी थी। इस दुश्मनी के कारण मृतक शिवराम सिंह बदला लेने की प्यास से ग्रस्त था। वह नत्थू सिंह को चुनाव में हराना चाहता था। इसलिए उसने अभियुक्त सुरेंद्र सिंह से पीडब्ल्यू-3, नत्थू सिंह के खिलाफ ग्राम प्रधान के चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने को कहा। परिणामस्वरूप, अभियुक्त सुरेंद्र सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया।

7. बताया जाता है कि 8 अप्रैल 1982 को शाम 5 बजे, पीडब्ल्यू-3, नत्थू सिंह ने हनुमानगढ़ी गांव स्थित अपने निवास पर पंचायत बुलाई। बालादीन (वादी), नत्थू सिंह (पीडब्ल्यू-3), श्याम सिंह (पीडब्ल्यू-2), बदन सिंह (मृतक), गुरुप्रसाद, जोर सिंह, शिवराम सिंह (मृतक), कलेक्टर उर्फ राजा राम और लाले, सभी अहीर जाति के, पंचायत में शामिल हुए। पंचायत सदस्यों ने शिवराम सिंह से चुनाव में नत्थू सिंह का समर्थन करने के लिए वोट देने का अनुरोध किया। बताया जाता है कि

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

शिवराम सिंह ने पंचायत को आश्वासन दिया कि वह कुसुम्हरण गांव में रहने वाले अपने बड़े भाई सोने लाल से सलाह लेने के बाद नत्थू सिंह का समर्थन करेंगे। इस पर पंचायत के सभी सदस्य लगभग रात 8 बजे कुसुम्हरण गांव के लिए रवाना हुए। किसी तरह अभियुक्तों को नत्थू सिंह द्वारा बुलाई गई पंचायत के बारे में पता चल गया। वे क्रोधित हो गए और शिवराम सिंह से बदला लेने के लिए गजधर के ऊपर वर्णित *अरहर* के खेत में छिप गए। जब पंचायत के सदस्य ऊपर वर्णित *नाली* पर आए, तो ऊपर नामजद अभियुक्त छिपने की जगह से बाहर आ गए। अभियुक्त सुरेंद्र सिंह और शिव मंगल सिंह के पास एस.बी.बी.एल. बंदूकें थीं, जबकि अभियुक्त वीरेंद्र सिंह और अर्जुन सिंह क्रमशः राइफल और देसी पिस्तौल से लैस थे। अभियुक्त सुरेंद्र सिंह ने शिवराम सिंह को गाली देते हुए कहा, "पहले तो हमें खड़ा कर दिया, अब अपने चाचा पंचायत कर रहा है, हमें धोखा देने वाले और पंचायत करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे।" इन शब्दों पर अभियुक्त सुरेंद्र सिंह ने शिवराम सिंह पर गोली चला दी। शिवराम सिंह को गोली लगी, वे खेत में गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त सुरेंद्र सिंह ने कथित तौर पर अभियुक्त शिव मंगल सिंह, वीरेंद्र सिंह और अर्जुन सिंह को पंचायत सदस्यों पर गोली चलाने का आदेश दिया। इस पर इन सभी अभियुक्तों ने पंचायत सदस्यों पर जान से मारने की नीयत से गोलियां चलाईं। इस गोलीबारी में नत्थू सिंह, शिवराम सिंह, श्याम सिंह, बदन सिंह और गुरु प्रसाद को गोली लगी। वादी बालादीन, कलेक्टर उर्फ राजाराम, लाले सिंह और जोर सिंह किसी तरह वहां से भागने में कामयाब रहे। बदन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। शिवराम सिंह और बदन सिंह की हत्या करने और नत्थू सिंह, श्याम सिंह और गुरु प्रसाद को घायल करने के बाद अभियुक्त घटनास्थल से फरार हो गए। वादी और गवाहों को आशंका थी कि अभियुक्त शवों को ले जा सकते हैं, इसलिए शवों को घटनास्थल से नत्थू सिंह की *बैठका* में ले जाया गया।

8. वादी अभियुक्तों से डरा हुआ था, इसलिए उसने घटना के तुरंत बाद पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। लगभग सुबह 3 बजे, वादी बालादीन, नत्थू सिंह और श्याम सिंह के साथ, हनुमानगढ़ी गांव से कुसुम्हरण पुलिस चौकी पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए निकले। वे सुबह 5:10 बजे चौकी पहुंचे। उन्होंने वहां लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) प्रस्तुत की। चौकी के पुलिसकर्मियों ने एफ.आई.आर. (प्रदर्श क-23) दर्ज की और जी.डी. में आवश्यक प्रविष्टियां कीं। जी.डी. की प्रति (प्रदर्श क-24) है। इसके बाद, वादी किशनी पुलिस स्टेशन गए।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. एसआई श्री एस.के. अवस्थी, पीडब्ल्यू-7, ने मुकदमे की विवेचना शुरू की। उन्होंने किशनी पुलिस स्टेशन में वादी से पूछताछ की। इसके बाद, वे कुसुम्हरन पुलिस चौकी पहुंचे। उन्होंने कुसुम्हरन पुलिस चौकी पर श्याम सिंह और नत्थू सिंह से पूछताछ की। उन्होंने नत्थू सिंह का खून से सना कुर्ता पुलिस हिरासत में लिया, उसे सील किया और फर्द बरामदगी (प्रदर्श क-6) तैयार किया। नत्थू सिंह और श्याम सिंह को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया। मैनपुरी जिला अस्पताल में डॉ. सुरेश थारियानी ने नत्थू सिंह और श्याम सिंह की चोटों की जांच की और उनसे संबंधित चोट रिपोर्ट (प्रदर्श क-2 और क-3) तैयार कीं। इसके बाद, एसआई श्री एस.के. अवस्थी, एफ.डब्ल्यू. नत्थू सिंह की बैठक में पहुंचे, जहां शिवराम सिंह और बदन सिंह के शव पलंगों पर पड़े थे। गवाहों की उपस्थिति में उन्होंने शवों को सील किया। उन्होंने शवों को कपड़ों में लपेटकर सील किया। उन्होंने पंचायतनामा (प्रदर्श क-7), फोटो-लाश (प्रदर्श क-9), चालान-लाश (प्रदर्श क-10), पत्र (प्रदर्श क-11 और क-12) और शिवराम सिंह के शव से संबंधित सील का नमूना (प्रदर्श क-13) तैयार किया। उन्होंने पंचायतनामा (प्रदर्श क-8), फोटो नाश (प्रदर्श क-14), चालान-लाश (प्रदर्श क-15), पत्र (प्रदर्श क-16 और क-17) और बदन सिंह के शव से संबंधित मुहर का नमूना (प्रदर्श क-18) तैयार किया। उन्होंने शवों को नत्थू सिंह के बैठक से मैनपुरी शवगृह में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शवों और संबंधित कागजात को कांस्टेबल असगर अब्बास और होम गार्ड जगदीश सिंह ले गए। उन्होंने पोस्टमार्टम के समय शवों की पहचान की।

10. डॉ. एस.सी. अग्रवाल ने बदन सिंह और शिवराम सिंह के शवों का पोस्टमार्टम किया और क्रमशः उनके शवों से संबंधित पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श क-4 और क-5) तैयार कीं। एस.आई. श्री एस.के. अवस्थी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साइट-प्लान (प्रदर्श क-19) तैयार किया। उन्होंने तीन स्थानों से रक्त से सना हुआ तथा साधारण मिट्टी बरामद की। उन्होंने इसे सील कर दिया और फर्द बरामदगी (प्रदर्श क-20) तैयार किया। इसके बाद, उन्होंने गवाहों से पूछताछ की और अभियुक्तों की तलाशी लेने का प्रयास किया। वे माल मुकदमा के साथ पुलिस स्टेशन लौट आए। यह तथ्य जी.डी. में दर्ज किया गया। जी.डी. की प्रति (प्रदर्श क-21) है। उन्होंने रक्त से सनी मिट्टी को रासायनिक परीक्षक के पास यह पता लगाने के लिए नहीं भेजा कि उसमें मानव रक्त था या नहीं। विवेचना के बाद उन्होंने आरोपपत्र (प्रदर्श क-22) प्रस्तुत किया।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



11. उपरोक्त नामजद अभियुक्तों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार नहीं किया और मुकदमे की मांग की। बचाव पक्ष का कहना है कि कुख्यात डकैतों सोबरान सिंह और ग्रीश ने शिवराम सिंह और बदन सिंह की हत्या की थी और चुनावी प्रतिद्वंद्विता के कारण अभियुक्तों को इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

12. अपने मामले के समर्थन में अभियोजन पक्ष ने पीडब्ल्यू-1, बेलादिन, पीडब्ल्यू-2; श्याम सिंह, पीडब्ल्यू-3; नत्थू सिंह, पीडब्ल्यू-4; कांस्टेबल असगर अब्बास, पीडब्ल्यू-5, डॉ. सुरेश थारियानी; पीडब्ल्यू-6, डॉ. एस.सी. अग्रवाल और पीडब्ल्यू-7 एवं एसआई, श्री एस.के. अवस्थी को परीक्षित किया।

13. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने गुरु प्रसाद से संबंधित चोट रिपोर्ट (प्रदर्श क-25) की प्रामाणिकता स्वीकार की, इसलिए अभियोजन पक्ष ने गुरु प्रसाद की चोटों की जांच करने वाले डॉ. एन.के. तिवारी को परीक्षित नहीं किया।

14. पीडब्ल्यू-1, बालादीन, इस मामले के वादी हैं। उन्होंने वही तथ्य बताए हैं जो ऊपर अभियोजन पक्ष के बयान में बताए गए हैं। पीडब्ल्यू-2, श्याम सिंह और पीडब्ल्यू-3, नत्थू सिंह घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। उन्होंने घटना के संबंध में वादी के बयान की पुष्टि की है।

15. पीडब्ल्यू-4, कांस्टेबल असगर अब्बास, नत्थू सिंह के बैठका से शवों को पोस्टमार्टम के लिए मैनपुरी शवगृह ले गए। पीडब्ल्यू-7, एसआई श्री एस.के. अवस्थी इस मामले के विवेचनाधिकारी हैं। उनके साक्ष्य का आधार ऊपर दिया गया है। उनका दावा है कि वे पुलिस चौकी कुस्मारा में एफ.आई.आर. और जी.डी. दर्ज करने वाले एच.सी. होशियार सिंह की लिखावट जानते हैं। उन्होंने एफ.आई.आर. (प्रदर्श क-23) और जी.डी. (प्रदर्श क-24) को साबित किया। 22 अप्रैल 1982 को उन्होंने गुरु प्रसाद को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा।

16. 9 अप्रैल 1982 को दोपहर 3:30 बजे जिला अस्पताल मैनपुरी में, पीडब्ल्यू-5, डॉ. सुरेश थारियानी ने नत्थू सिंह की चोटों की जांच की और चोट रिपोर्ट (प्रदर्श क-2) तैयार की। नत्थू सिंह के शरीर पर पाए गए घावों का विवरण नीचे दिया गया है: -

"1. दाहिनी ऊपरी बांह के सामने, कोहनी के जोड़ से 5 सेमी ऊपर, 1/3 सेमी x 1/3 सेमी x 4 सेमी आकार का गोली के प्रवेश का घाव। दिशा ऊपर की ओर, पीछे की ओर या पार्श्व की ओर है। किनारे फटे हुए और उल्टे हैं। कालापन, टैटू या झुलसने के निशान अनुपस्थित हैं।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. दाहिनी बांह के पिछले हिस्से और भीतरी भाग पर कलाई के जोड़ तक 12 सेंटीमीटर नीचे तक, गहरे ऊतकों में प्रवेश करते हुए $1/3$ सेंटीमीटर x $1/3$ सेंटीमीटर की गोली के प्रवेश का घाव है। घाव के किनारे फटे हुए और अंदर की ओर मुड़े हुए हैं। कालापन, टैटू या झुलसने के निशान नहीं हैं। दिशा स्पष्ट नहीं है।

3. दाहिनी कोहनी के जोड़ के पीछे और भीतरी हिस्से पर $1/3$ सेमी x $1/3$ सेमी x गहराई तक गोली के प्रवेश का घाव है, जो गहरे ऊतक में धंसा हुआ है। किनारे फटे हुए और अंदर की ओर मुड़े हुए हैं। कालापन, टैटू या झुलसने के निशान नहीं हैं। दिशा स्पष्ट नहीं है।

14. उनके अनुसार, ये चोटें किसी आग्नेयास्त्र से लगी थीं। चिकित्सकीय जांच के समय चोटें 3/4 दिन पुरानी थीं।

15. उपर्युक्त दिन दोपहर 3 बजे उन्होंने श्याम सिंह की चोटों की जांच की और चोट रिपोर्ट (प्रदर्शक-3) तैयार की। श्याम सिंह के शरीर पर पाई गई चोट का विवरण नीचे दिया गया है:-

1. बाईं ओर पीठ के बाहरी हिस्से पर 14 सेमी x 8 सेमी x गहराई का गोली के प्रवेश का घाव, जो गहरे ऊतक में धंसा हुआ है। कम रक्तस्राव। किनारे फटे और अंदर की ओर मुड़े हुए। घाव के आसपास कालापन और टैटू के निशान मौजूद हैं। दिशा स्पष्ट नहीं है।

16. उनकी राय में, चोट किसी आग्नेयास्त्र से लगी है। चिकित्सा परीक्षण के समय चोट 3/4 दिन पुरानी थी। उन्होंने कहा है कि संभवतः पीड़ितों को ये चोटें 8.4.1982 को रात 8 बजे लगी थीं। पीड़ित को लगी चोटें जानलेवा थीं।

17. 10.4.1982 को दोपहर 2 बजे मैनपुरी के शवगृह में डॉ. एस. सी. अग्रवाल ने बदन सिंह के शव का पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्शक-4) तैयार की। बदन सिंह के शव पर मृत्यु से पहले पाए गए घावों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. चार अंडाकार आकार के गोली के प्रवेश का घाव, प्रवेश द्वार प्रत्येक 0.3 सेमी x 0.3 सेमी x गुहा। कोई कालापन या टैटू नहीं। किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए।

(i) एक चेहरे के दाहिनी ओर, दूसरा दाहिने कान के पार्श्व में।

(ii) एक गर्दन के मध्य में।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(iii) एक स्टर्नम के मध्य निचले सिरे के सामने।

(iv) एक पेट के दाहिने हिस्से के निचले भाग में, दाहिने इलियाक फोसा में।

18. उनके मत के अनुसार, मृत्यु का कारण आघात और मृत्यु से पहले के घावों के परिणामस्वरूप रक्तस्राव था।

19. उक्त दिन दोपहर 3 बजे मैनपुरी स्थित शवगृह में उन्होंने शिवराम सिंह के शव का पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श क-5) तैयार की। शिवराम सिंह के शव पर पाए गए मृत्युपूर्व घावों का विवरण नीचे दिया गया है: -

"1. छाती के ऊपरी भाग के सामने दाहिनी ओर, दाहिने निप्पल से 3.5 सेमी ऊपर, वक्षीय गुहा में गोली के प्रवेश का एक अंडाकार घाव 3 सेमी x 3 x वक्षीय गुहा तक। घाव के चारों ओर कालापन और झुलसन मौजूद है, किनारे उल्टे हैं।"

2. छाती के निचले हिस्से के दाहिनी ओर, दाहिने निप्पल से 4 सेमी नीचे, 8 सेमी x 4 सेमी के क्षेत्र में तीन अंडाकार घाव हैं। प्रत्येक घाव का आकार 1 सेमी x 1 सेमी x गुहा है। किनारा अंदर की ओर मुड़ा हुआ है। कोई कालापन, झुलसा हुआ निशान या टैटू नहीं है।

3. छाती के निचले हिस्से के बाईं ओर, चोट संख्या 2 से संबंधित, एक अंडाकार बंदूक की गोली का घाव है, जिसका आकार 1 सेमी x 1 सेमी x आर-पार है।

4. दाहिनी बांह के बाहरी हिस्से पर, 10 सेमी x 4 सेमी के क्षेत्र में कई अंडाकार बंदूक की गोली के प्रवेश के घाव हैं। प्रत्येक घाव का आकार 5 सेमी x 0.5 सेमी x आर-पार है। कोई कालापन, झुलसा हुआ निशान या टैटू नहीं है। किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए हैं।

5. दाहिनी बांह के भीतरी भाग पर 12 सेमी x 6 सेमी आकार के कई अंडाकार बंदूक की गोली के निकास के घाव, प्रत्येक घाव 0.8 सेमी x 0.8 सेमी का है और आर-पार है। कोई कालापन, झुलसने या टैटू के निशान नहीं हैं। किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए हैं।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. दाहिनी बांह के मध्य भाग के पिछले हिस्से पर एक अंडाकार गोली का घाव, आकार 5 सेमी x 0.5 सेमी x आर-पार। कोई कालापन, झुलसन या टैटू के निशान नहीं, प्रवेश घाव के किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए हैं।

7. दाहिनी बांह के भीतरी भाग के मध्य भाग पर एक अंडाकार गोली के निकास का घाव, 8 सेमी x 8 सेमी x आर-पार। कोई कालापन, झुलसन या टैटू के निशान नहीं, किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए हैं।

8. बाईं कोहनी के पिछले हिस्से पर दो अंडाकार गोली के प्रवेश का घाव, प्रत्येक तरफ 6 सेमी x 9 सेमी के क्षेत्र में। 5 सेमी x 0.5 सेमी x आर-पार। कोई कालापन, झुलसन या टैटू के निशान नहीं, किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए हैं।

9. बाईं बांह के ऊपरी भाग के सामने दो अंडाकार गोली के निकास का घाव, 10 सेमी x 4 सेमी के क्षेत्र में, प्रत्येक 8 सेमी x 0.8 सेमी x आर-पार। किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए हैं।

20. उनके मत के अनुसार, मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व की चोटों के परिणामस्वरूप सदमा और रक्तसाव था। उन्होंने कहा है कि 8 अप्रैल 1982 को रात 8 बजे शिवराम सिंह और बदन सिंह की मृत्यु होने की संभावना थी। उन्होंने आगे कहा है कि शिवराम सिंह और बदन सिंह को लगी चोटें किसी आग्नेयास्त्र से लगी थीं।

21. चोट रिपोर्ट (प्रदर्श क-25) के अनुसार, गुरु प्रसाद के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

"1. पीठ के बाईं ओर 3 सेमी x 1 सेमी अंडाकार आकार का एक ठीक हुआ घाव, जिसमें सफेद दानेदार ऊतक मौजूद है। घाव का रंग शरीर के सामान्य रंग की तुलना में सफेद है। यह बाएं कंधे की हड्डी के ऊपरी किनारे से 4 सेमी दूर है। ठीक हुए घाव के किनारे अनियमित और अस्पष्ट हैं।"

22. चिकित्सा गवाह ने 22 अप्रैल 1982 को दोपहर 12:30 बजे मैनपुरी जिले के किशनी स्थित पीएचसी में गुरु प्रसाद की चोट की जांच की। उनके अनुसार, चोट साधारण प्रकृति की थी और किसी कुंद वस्तु से लगी थी। चिकित्सकीय जांच के समय चोट एक सप्ताह से अधिक पुरानी थी।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



23. दूसरी ओर, अपने बचाव पक्ष के समर्थन में, अभियुक्तों ने डीडब्ल्यू-1 इंस्पेक्टर सिंह की गवाही ली और दस्तावेज़ प्रदर्श ख-1 और ख-2 प्रस्तुत किए। बचाव पक्ष के साक्ष्यों पर आवश्यकतानुसार चर्चा की जाएगी।

24. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है:

(i) अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि वादी पक्ष पर अभियुक्तों ने तब गोली चलाई जब वे शिव राम सिंह के भाई सोने लाल से मिलने जा रहे थे। प्रथम सूचनादाता बालादीन यादव की गवाही में यह सामने आया है कि चारों अभियुक्तों ने एक-एक गोली चलाई और दोबारा गोली नहीं चलाई और मृतक शिव राम सिंह को चारों अभियुक्तों की गोली से चोटें आईं। उपरोक्त गवाही के आधार पर, मृतक शिव राम सिंह को चार गोलियां लगी होंगी। इस संबंध में चिकित्सीय साक्ष्य स्पष्ट है, क्योंकि मृतक शिव राम के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पीडब्ल्यू-6, डॉ. एस.सी. अग्रवाल द्वारा प्रमाणित की गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मृतक शिव राम सिंह के शरीर पर गोली के प्रवेश के सात घाव थे। यह चिकित्सीय तथ्य पीडब्ल्यू-1, बालादीन यादव के प्रत्यक्षदर्शी बयान का पूरी तरह खंडन करता है, जो दावा करता है कि चारों अभियुक्तों ने एक-एक गोली चलाई थी, और दोबारा गोली नहीं चलाई गई। अतः कुल मिलाकर केवल चार गोलियां चलाई गईं, जबकि मृतक शिव राम सिंह के शरीर पर ही सात गोलियों के घाव थे। इसके अलावा, दूसरे मृतक, बदन सिंह के शरीर पर भी गोलियों के घाव थे, जैसा कि पीडब्ल्यू- 6, डॉ. एस.सी. अग्रवाल द्वारा प्रमाणित पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। उपरोक्त गोलियों के घावों का विवरण नीचे दिया गया है:

"1. उसके चेहरे के दाहिनी ओर

2. उसकी गर्दन के मध्य में

3. छाती के मध्य में स्टर्नम की ओर

4. पेट के निचले दाहिने हिस्से में।"

(ii) इतना ही नहीं, दो घायलों, नत्थू सिंह को तीन गोलियां लगीं, जबकि दूसरे घायल श्याम सिंह को भी गोली लगी। ये तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि मृतक और घायल दोनों पर चार से अधिक गोलियां चलाई गईं, जो अभियोजन पक्ष के गवाहों की प्रत्यक्ष गवाही का खंडन करते हैं और अभियोजन पक्ष की कहानी और इन गवाहों के बयानों की सत्यता पर संदेह पैदा करते हैं।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(iii) विवेचनाधिकारी, पी.डब्ल्यू-7 ने अपनी गवाही में स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना स्थल से 12 बोर के 2 खाली कारतूस और 3 टिकली बरामद हुए थे। यह तथ्य घटना स्थल के संबंध में गंभीर संदेह पैदा करता है, क्योंकि मृतक और घायल दोनों को कई गोलियां लगने के बावजूद दो खाली कारतूसों की बरामदगी आपस में मेल नहीं खाती, इसलिए घटना स्थल अत्यधिक संदिग्ध हो जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के अनुसार, उन्होंने मृतकों के शव को अपने घर ले गए थे, जहाँ पंचायतनामा भी किया गया था। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष घटना स्थल को अपने बताए अनुसार पुख्ता साबित करने में विफल रहा है। अभियोजन पक्ष यह दिखाने में भी पूरी तरह असफल रहा है कि गवाहों ने घटना को किस प्रकाश स्रोत से देखा होगा। पीडब्ल्यू-1 ने अपने बयान में पहली बार कहा कि घटना वाली रात चांदनी रात थी और इसी वजह से वह हमलावर की पहचान कर सका। उसने न तो एफआईआर में ऐसा कोई बयान दिया है और न ही पूछताछ के दौरान, और न ही अपने बयान में इस बिंदु पर कोई आपत्ति जताई है। इसके विपरीत, पीडब्ल्यू-3 ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना वाली रात बादल छाए हुए थे और बारिश की आशंका थी। विवेचनाधिकारी पीडब्ल्यू-7 ने भी अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियोजन पक्ष के गवाह ने उसे कभी नहीं बताया कि घटना वाली रात चांदनी रात थी। उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा बताए गए प्रकाश स्रोत की उपस्थिति अत्यधिक संदिग्ध हो जाती है, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी और गवाहों के बयान की सत्यता पर गंभीर संदेह पैदा होता है। अभियोजन पक्ष अपने द्वारा बताए गए हथियारों की प्रकृति को साबित करने में विफल रहा है, और न ही अभियुक्त व्यक्ति से कोई हथियार बरामद किया गया है, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी पर स्पष्ट रूप से संदेह पैदा होता है।

(iv) अभियोजन पक्ष घटना को अंजाम देने के लिए अभियुक्त के किसी भी हेतुक को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। इसके विपरीत, अभियोजन पक्ष के गवाहों ने यह स्वीकार किया है कि मृतकों का सूचनाकर्ता पक्ष के साथ पारिवारिक संपत्ति विवाद था और इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सूचनाकर्ता पक्ष के पास मृतकों की हत्या करने का कारण था। मृतकों के शव सूचनाकर्ता पक्ष के घर पर मौजूद थे और उन्होंने इस बात का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया कि शव सूचनाकर्ता के घर कैसे लाए गए, जिससे अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी झूठी साबित होती है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(v) बचाव पक्ष ने इंस्पेक्टर सिंह को पेश किया, जो ग्राम पंचायत के सरपंच थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि घटना वाले दिन गोली चलने की आवाज सुनकर वे घटनास्थल पर पहुंचे और नत्थू सिंह (सूचनादाता) के बरामदे में दो शव पाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि घटना वाली रात बादल छाए हुए थे, चांदनी रात नहीं थी, और उनकी गवाही को अवर न्यायालय ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है।

(vi) प्रथम सूचनादाता, बालादीन यादव ने एफआईआर और अपनी गवाही में कहा कि घायलों में से एक, गुरु प्रसाद, अभियुक्तों द्वारा चलाई गई गोली से घायल हुआ था, लेकिन गुरु प्रसाद की चिकित्सा रिपोर्ट से पता चलता है कि चोट मामूली थी और किसी कुंद वस्तु से लगी थी। उक्त चिकित्सा रिपोर्ट और घायल गुरु प्रसाद की भी अवर न्यायालय द्वारा परीक्षित नहीं किया गया। उपरोक्त तथ्यों के सावधानीपूर्वक अध्ययन से अभियोजन पक्ष की कहानी अत्यधिक संदिग्ध हो जाती है।

(vii) अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना स्थल पर तीन घायल गवाहों के अलावा कुल चार चश्मदीद गवाह मौजूद थे, जिनको सुनवाई के दौरान परीक्षित नहीं किया गया। अभियोजन पक्ष ने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि घटना के चश्मदीद गवाह होने के बावजूद इन चार प्रमुख गवाहों को सुनवाई के दौरान परीक्षित क्यों नहीं किया गया।

(viii) दोनों अपीलकर्ताओं की आयु लगभग 70 वर्ष से अधिक है, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वे वृद्धावस्था संबंधी विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं।

(ix) सभी परिस्थितियों को देखते हुए अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। इस कहानी में एक बड़ी खामी है और इसलिए अभियुक्त व्यक्तियों को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए, और सत्र न्यायालय के दोषसिद्धि और सजा के आदेश/निर्णय को रद्द किया जाना चाहिए।

25. विद्वान ए.जी.ए. ने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला उचित संदेह से परे साबित कर दिया है। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क सारहीन हैं।

26. दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करने, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और अवर न्यायालय द्वारा अपने निर्णय और आदेश में दर्ज निष्कर्षों को देखने के बाद, हम पाते हैं कि जहां चिकित्सा साक्ष्य

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

मौजूद है लेकिन वह मौखिक गवाहियों से आंशिक रूप से मेल नहीं खाता है, वहां अभियोजन पक्ष के मामले को अविश्वासनीय नहीं माना जा सकता है। अपने मुख्य परीक्षण में, पी.डब्ल्यू.-1 ने अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा चलाई गई गोलियों की संख्या निर्दिष्ट नहीं की, लेकिन अपनी जिरह में ऐसा प्रतीत होता है कि वह भ्रमित हो गया था।

27. पीडब्ल्यू-2 ने यह नहीं बताया कि चारों अभियुक्तों ने एक-एक गोली चलाई थी, और न ही पीडब्ल्यू-3 ने अभियुक्तों द्वारा चलाई गई गोलियों की संख्या बताई। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ताओं द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी की गई, जिसके परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जबकि तीन घायल गोली लगने से घायल हो गए।

28. इस मामले में अपीलकर्ताओं का यह दावा नहीं है कि दो मृतकों और घायलों को गोली लगने से कोई चोट नहीं आई, बल्कि अपीलकर्ताओं का बचाव यह है कि पीडब्ल्यू-1 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि चारों अपीलकर्ताओं ने एक-एक गोली चलाई थी, जब मृतक शिव राम सिंह को छह गोलियां लगीं, मृतक बदन सिंह को चार गोलियां लगीं, घायल नत्थू सिंह को तीन गोलियां लगीं और घायल श्याम सिंह को एक गोली लगी। गुरु प्रसाद को भी चोट आई थी, लेकिन अवर न्यायालय में उन्हें परीक्षित नहीं किया गया। इसलिए, इस बात में कोई विवाद नहीं है कि किसी भी मृतक या घायल को गोली लगने से कोई चोट नहीं आई। विवाद केवल इस बात पर है कि पीडब्ल्यू-1 ने दावा किया कि चार गोलियां चलाई गईं, लेकिन सभी मृतकों और घायलों को मिलाकर लगभग 14 गोलियां लगी थीं।

29. **सुनील कुंडू और अन्य बनाम झारखंड राज्य (2013) 4 एससीसी 422** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जहां आग्नेयास्त्र या लोहे की छड़ से चोट पहुंचाने का आरोप था, लेकिन डॉक्टर द्वारा ऐसी कोई चोट नहीं पाई गई, वहां अभियुक्तों को बरी कर दिया गया क्योंकि उन पर अपीलकर्ताओं के खिलाफ पत्थर फेंकने, पिस्तौल, लोहे की छड़ और चाकू का इस्तेमाल करने का आरोप था। पुलिस को एक भी खाली कारतूस बरामद नहीं हुआ, इसलिए गवाहों के प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य को चिकित्सा साक्ष्य के विपरीत होने के कारण अविश्वासनीय माना गया। लेकिन वर्तमान मामले में, दो मृतकों और तीन घायलों को आग्नेयास्त्र से चोट पहुंचाने का आरोप है और मृतकों और घायलों के शरीर पर आग्नेयास्त्र से लगी चोटें पाई गई हैं। दो खाली कारतूस और तीन 'टिकली' भी बरामद की गई हैं। इसलिए, अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार और उक्त हथियार से हुई चोटों की प्रकृति के संबंध में कोई विरोधाभास नहीं है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



30. सर्वोच्च न्यायालय ने **थमन कुमार बनाम चंडीगढ़ राज्य (2003) 6 एससी 380** मामले में मौखिक और चिकित्सा साक्ष्य के बीच विरोधाभास की श्रेणियों पर इस प्रकार चर्चा की है:

“मौखिक गवाही और चिकित्सा साक्ष्य के बीच विरोधाभास विभिन्न आयामों और रूपों का हो सकता है। ऐसा मामला हो सकता है जहां किसी विशेष हथियार से होने वाली चोटों का पूरी तरह से अभाव हो। एक अन्य श्रेणी वह है जहां पीड़ित पर पाई गई चोटें हमले के हथियार से होने वाली चोटों के प्रकार की तो हैं, लेकिन चोटों का आकार और आयाम हथियार के आकार और आयाम से ठीक मेल नहीं खाता है। तीसरी श्रेणी वह हो सकती है जहां पीड़ित पर पाई गई चोटें ऐसी हैं जो आमतौर पर हमले के हथियार से होती हैं, लेकिन वे शरीर के उस हिस्से पर नहीं पाई जाती हैं जहां चश्मदीनों द्वारा उनके होने का दावा किया गया है। मौखिक और चिकित्सा साक्ष्य में ऊपर वर्णित स्पष्ट विरोधाभास की तीनों श्रेणियों में एक ही प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। पहली श्रेणी में यह वैध रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी विशेष हथियार से हमले के संबंध में मौखिक साक्ष्य सत्य नहीं है। हालांकि, दूसरी श्रेणी में, और तीसरी श्रेणी में, इस तरह का कोई निष्कर्ष सीधे तौर पर नहीं निकाला जा सकता। प्रत्यक्षदर्शी गवाही की विश्वसनीयता का आकलन करते समय हमले का तरीका, पीड़ित की स्थिति, उसके द्वारा किया गया प्रतिरोध, गवाहों को घटना देखने का अवसर (जैसे उनकी दूरी, प्रकाश की उपस्थिति और कई अन्य समान कारक) को ध्यान में रखना होगा।

31. सर्वोच्च न्यायालय ने **गंगाभवानी बनाम रायपति वेंकट रेड्डी एवं अन्य, 2013(15) एससीसी 298** के मामले में यह माना कि यदि चिकित्सा साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य में विरोधाभास हो, तो भले ही प्रत्यक्षदर्शी की गवाही का साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण हो, लेकिन यदि चिकित्सा साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य की सभी संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर दे, तो प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य को अविश्वसनीय माना जा सकता है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि भले ही घटनास्थल से बरामद खाली कारतूस बरामद हथियार से मेल न खाते हों, फिर भी चिकित्सा साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि गवाहों ने कहा कि अभियुक्त ने मृतक पर बंदूक से गोली चलाई और उसे मार डाला। भले ही पुलिस द्वारा बरामद

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



बंदूक कथित अपराध में इस्तेमाल न की गई कोई दूसरी बंदूक निकले, इससे कोई विरोधाभास उत्पन्न नहीं होता। हालांकि व्यापक रूप से देखा जाए तो अभियोजन पक्ष के मामले में यह विरोधाभास माना जा सकता है। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष का यह दावा नहीं है कि चोटें बंदूक से लगी थीं, बल्कि मृतक और घायल के शरीर पर पाए गए घाव बंदूक से नहीं लगे थे। बल्कि यह स्वीकार किया गया है कि मृतक और घायल को बंदूक से चोटें आई थीं, लेकिन पीडब्ल्यू-1 ने गोलीबारी की संख्या सही ढंग से नहीं बताई है।

32. यह घटना 8 अप्रैल 1982 को शाम 5:00 बजे घटी। इस मामले के विवेचनाधिकारी, पीडब्ल्यू-7, 9 अप्रैल 1982 की सुबह घटनास्थल पर गए और रात 10:30 बजे पुलिस स्टेशन लौटे। इसलिए, वे दोपहर या शाम के आसपास घटनास्थल पर पहुंचे होंगे और तब तक घटनास्थल पर पड़े खाली कारतूस सुबह से दोपहर तक वहां से गुजरने वाले लोगों द्वारा हटा दिए गए होंगे या इधर-उधर हो गए होंगे। हवा जैसे प्राकृतिक कारकों के कारण भी खाली कारतूस घटनास्थल से उड़ गए होंगे। यदि विवेचनाधिकारी घटनास्थल पर तुरंत जाकर खाली कारतूस और 'टिक्लियां' एकत्र कर लेते, तो और अधिक बरामदगी हो सकती थी।

33. गवाहों के बयानों में विरोधाभास के संबंध में यह तर्क कि वह चांदनी रात थी या बादल छाए हुए और बरसाती रात थी, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि दोनों पक्ष एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। इसके अलावा, अप्रैल के महीने में सुबह 5 बजे पर्याप्त रोशनी होती है जिससे गवाह अपराध की घटना को अंजाम देने वाले व्यक्तियों की पहचान कर सकता है। अपीलकर्ताओं के पास कथित अपराध करने का हेतुक था क्योंकि मृतक शिव राम सिंह ने सुरेंद्र सिंह से किया अपना वादा तोड़ा था, जैसा कि तथ्य के गवाहों के बयानों से स्पष्ट है।

34. इस तर्क के संबंध में कि शव घटना स्थल पर नहीं बल्कि नत्थू सिंह (पीडब्ल्यू-3) के बरामदे में मिला था, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले और घटना स्थल पर संदेह उत्पन्न होता है, अभिलेखों से स्पष्ट है कि घटना और विवाद 8 अप्रैल 1982 को शाम 5:00 बजे हुआ था और घटना की एफ.आई.आर. 9 अप्रैल 1982 को सुबह 5:10 बजे सूचनाकर्ता बलदेव (पीडब्ल्यू-1) द्वारा दर्ज कराई गई थी। विवेचनाधिकारी ने नत्थू सिंह के बरामदे में दो पलंगों पर दो शव पाए। गांवों में घायल/बीमार/मृत व्यक्ति को पलंग पर ले जाना आम बात है। वर्ष 1982 में एम्बुलेंस आसानी से उपलब्ध नहीं थी, इसलिए दो शवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पलंगों का उपयोग स्ट्रेचर की तरह किया जाता था।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

35. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि दोनों शवों को नत्थू सिंह के बरामदे में कैसे लाया गया, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, दो पलंगों पर दो शवों की उपस्थिति से स्पष्ट हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि शिव राम सिंह और बदन सिंह की हत्या के तुरंत बाद, उनके शवों को नत्थू सिंह के घर लाया गया था, क्योंकि दोनों मृतक घायल और उनके साथ आए अन्य व्यक्ति से परिचित और करीबी रिश्तेदार थे। इंस्पेक्टर सिंह, डीडब्ल्यू-1, का बयान इस न्यायालय को विश्वसनीय नहीं लगता। घटनास्थल के नक्शा-नजरी से स्पष्ट है कि नत्थू सिंह का घर घटना स्थल से 125 फीट की दूरी पर हनुमानगढ़ी गांव में स्थित था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि यह इतनी लंबी दूरी थी जिसे अप्रैल के महीने में शाम लगभग 5:00 से 6:00 बजे के बीच आसानी से तय नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अप्रैल के महीने में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गुरु प्रसाद (घायल) की केवल इसलिए जांच न करना कि उसे कुंद वस्तु से मामूली चोटें आई थीं, अभियोजन पक्ष के पूरे मामले पर अविश्वास का आधार नहीं हो सकता। दो घायल गवाह अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करते हैं, जिनमें दो व्यक्तियों की जान भी गई है। केवल इस तथ्य के आधार पर कि अपीलकर्ताओं की आयु 70 वर्ष से अधिक है, उन्हें बरी नहीं किया जा सकता। इस तथ्य का ध्यान रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है।

36. हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष ने चश्मदीद गवाहों के बयानों के आधार पर मकसद और घटना को साबित करके अपीलकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन पक्ष का मामला सिद्ध कर दिया है। पी.डब्ल्यू.-1 के जिरह में चारों अभियुक्तों द्वारा चलाई गई गोलियों की संख्या के संबंध में आंशिक विसंगति के कारण ही अपीलकर्ताओं को सभी आरोपों से बरी नहीं किया जा सकता, जबकि रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य साक्ष्यों से अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह सिद्ध हो चुका है।

37. आपराधिक अपील में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

38. अपीलकर्ता जमानत पर हैं। उनकी जमानत रद्द की जाती है और जमानतदारों को मुक्त किया जाता है।

39. अपीलकर्ता तुरंत आत्मसमर्पण करें और शेष सजा भुगतें।

40. इस फैसले की एक प्रति अवर न्यायालय के रिकॉर्ड के साथ अवर न्यायालय को सूचित की जाए।

29 जनवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



रोहित

(जय कृष्ण उपाध्याय, न्यायमूर्ति) (सिद्धार्थ, न्यायमूर्ति)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"